रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2007/फाल्गुन 21, 1928
No. 103] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2007/PHALGUNA 21, 1928

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2007

सा.का.नि. 193(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"419क (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के निदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक भारत सरकार की दशा में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा और राज्य सरकार की दशा में राज्य सरकार के गृह विभाग के भार-साधक सचिव द्वारा आदेश जारी नहीं कर दिया जाता । किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।"

परंतु आपात मामलों में—

(i) दूरस्थ क्षेत्रों में जहां संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है; या

(ii) प्रचालनात्मक कारणों के लिए जहां संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है;

वह किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपेक्षित अपरोधन को प्राधिकृत सुरक्षा के प्रधान या द्वितीय ज्येष्ठतम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा अर्थात् केन्द्रीय स्तर पर विधि प्रवर्तन अभिकरण और इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी, किंतु अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर राज्य स्तर पर ऐसे अपरोधनों के संबंध में सूचित किया जाएगा और ऐसे अपरोधनों की सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी से पुष्टि कराई जाएगी । यदि सक्षम प्राधिकारी से नियत सात दिन के भीतर पुष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे अपरोधन समाप्त हो जाएंगे और वे संदेश या संदेशों के वर्ग को यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव के पूर्व अनुमोदन के बिना अपरोधित नहीं किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश में ऐसे निदेश के लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और ऐसे आदेश की प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध पुनर्विलोकन समिति को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन निदेश जारी करते समय अधिकारी अन्य साधनों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगा और उपनियम (1) के अधीन निदेश तभी

जारी किए जाएंगे जब किसी अन्य युक्तियुक्त साधनों द्वारा जानकारी प्राप्त करना संभव न हो ।

(4) निदेशित अपरोधन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग का वह अपरोधन होगा जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेजे जाते हैं चाहे वे ऐसे संदेश या संदेशों के वर्ग आदेश में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक पतों पर प्राप्त होता है, जो ऐसा पता या पते हैं, जिनका आदेश विनिर्दिष्ट या वर्णित विशिष्ट व्यक्ति से या को या आदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित परिसरों के एक विशिष्ट सैट पर पारेषण या संचार करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है ।

(5) निदेश, उन अधिकारी या प्राधिकारी के नाम और पदनाम को विनिर्दिष्ट करेंगे जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का प्रकटन किया जाना है और यह भी विनिर्दिष्ट करेंगे कि अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन होगा ।

(6) अपरोधन के लिए निदेश तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक जारी होने की तारीख से साठ दिन से अनधिक की अवधि के पूर्व प्रतिसंहृत नहीं हो जाते, किन्तु वे 180 दिन की कुल अवधि से परे प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

(7) उपनियम (1) के अधीन जारी अपरोधन के लिए निदेशों को अनुज्ञाप्तिधारियों, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, के अभिहित अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा ।

(8) किसी संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसमें उल्लिखित, अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग, व्यक्तियों की विशिष्टियां जिनके संदेश को अवरोधित किया गया है, अधिकारी या प्राधिकारी का नाम या अन्य विशिष्टियां जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का प्रकटन किया गया है, अपरोधित किए गए संदेश या संदेशों की प्रतियों की संख्या और रीति या पद्धति जिसमें ऐसी प्रतियां तैयार की जाती हैं, प्रतियों के नष्ट होने की तारीख और वह अवधि जिसके भीतर निदेश प्रवृत्त बना रहेगा, उचित अभिलेख का अनुरक्षण करेंगे ।

(9) सभी अध्यपेक्षा करने वाले सुरक्षा अभिकरण, पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के एक या अधिक नोडल अधिकारी पदाभिहित करेंगे, जो अपरोधन के लिए अध्यपेक्षाओं का अधिप्रमाणन करेंगे और संबद्ध सेवा प्रदाता के अभिहित अधिकारी को उनका प्रदाय पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

(10) सेवा प्रदाता प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी सेवा क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कंपनी के दो ज्येष्ठ कार्यपालकों को, अपरोधन के लिए ऐसी अध्यपेक्षाओं को प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में अभिहित करेगा ।

(11) सेवाप्रदाता के अभिहित नोडल अधिकारी संबद्ध सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरण के लिए पावती पत्र अपरोधन के लिए सूचना के प्राप्त होने पर दो घंटे के भीतर जारी करेगा ।

(12) अपरोधन के लिए अध्यपेक्षा की संसूचना देने और प्राप्त करने के लिए अभिहित नोडल अधिकारी की प्रणाली का अपात मामलों/अपरिहार्य मामलों में भी अनुसरण किया जाएगा, जहां सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

(13) सेवा प्रदाताओं के अभिहित नोडल अधिकारी ऐसे अधि-प्रमाणन की अधिप्रमाणिकता की पुष्टि के लिए सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरण के नोडल अधिकारियों को पूर्ववर्ती पखवाड़े के दौरान उनके द्वारा प्राप्त अपरोधन अधिप्रमाणन की सूची प्रत्येक पंद्रह दिन में अग्रेषित करेंगे । सूची में संघ के गृहसचिव या राज्य के गृह सचिव के आदेशों की तारीख और ऐसे आदेशों की प्राप्ति का समय तथा ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन की तारीख और समय के ब्यौरे संदर्भ के रूप में सम्मिलित होने चाहिए ।

(14) सेवा प्रदाता प्रर्याप्त और प्रभावी आंतरिक रोकथाम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदेशों का अप्राधिकृत अपरोधन न हो और अत्यधिक गोपनीयता बरती जा रही है तथा संदेश के अपरोधन की सामग्री में अत्यधिक सावधानी और पूर्वावधानी बरती जाती है क्योंकि इससे नागरिकों की एकांतता प्रभावित होती है और यह भी कि इस संबंध में कंपनी के केवल अभिहित नोडल अधि-कारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

(15) सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है । यदि सूचना की गुप्तता और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन साबित हो जाता है तो उक्त अधिनियम की धारा 20, धारा 20क, धारा 23 और धारा 24 के अनुसार सेवाप्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी और इसमें केवल जुर्माना ही नहीं सम्मिलित होगा बल्कि उनकी अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण भी सम्मिलित होगा ।

(16) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी । पुनर्विलोकन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

(क) मंत्रिमंडल सचिव –अध्यक्ष

(ख) सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य के भारसाधक –सदस्य

(ग) सचिव, भारत सरकार, दूर संचार विभाग –सदस्य

राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) मुख्य सचिव –अध्यक्ष

(ख) सचिव विधि/विधि परामर्शी, विधि कार्य के भार साधक –सदस्य

(ग) सचिव, राज्य सरकार (गृह सचिव से भिन्न) सदस्य

(17) पुनर्विलोकन समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार होगी और उसके परिणामों को अभिलिखित करेगी कि

उप-धारा (1) के अधीन जारी निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार है या नहीं। यदि पुनर्विलोकन समिति का विचार है कि निदेश ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं है तो यह समिति निदेशों को अपास्त कर सकेगी और अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने के लिए आदेश दे सकेगी।

(18) अपरोधन के लिए ऐसे निदेशों से संबंधित अभिलेखों और अपरोधित संदेशों को सुसंगत सक्षम प्राधिकारी और प्राधिकृत सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा प्रत्येक छह मास पर नष्ट किया जाएगा, जब तक कि ये कृत्यिक अपेक्षाओं के लिए अपेक्षित या इनका अपेक्षित होना संभावित न हो।

(19) सेवा प्रदाता ऐसे संदेशों के अपरोधन की निरंतरता की समाप्ति के दो मास के भीतर संदेश के अपरोधन के लिए निदेशों से संबंधित अभिलेखों को नष्ट करेंगे और ऐसा करते समय वह अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखेंगे।

[फा. सं. 13-1/2006-बीएस-II]

एन. परमेश्वरन्, उप महानिदेशक (ए. एस.)
एवं पदेन संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम डाक और तार मैनुअल वालयूम I, विधायी अधिनियमितियां भाग II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्‌वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए हैं :

1. सा.का.नि. 190(अ) ता. 18-2-1984
2. सा.का.नि. 386(अ) ता. 22-5-1984
3. सा.का.नि. 387(अ) ता. 22-5-1984
4. सा.का.नि. 679 ता. 30-6-1984
5. सा.का.नि. 428 ता. 27-4-1985
6. सा.का.नि. 729 ता. 3-8-1985
7. सा.का.नि. 982 ता. 19-10-1986
8. सा.का.नि. 553(अ) ता. 27-3-1986
9. सा.का.नि. 314 ता. 26-4-1986
10. सा.का.नि. 566 ता. 26-7-1986
11. सा.का.नि. 953(अ) ता. 23-7-1986
12. सा.का.नि. 1121(अ) ता. 1-10-1986
13. सा.का.नि. 1167(अ) ता. 28-10-1986
14. सा.का.नि. 1237(अ) ता. 28-11-1986
15. सा.का.नि. 49 ता. 17-1-1987
16. सा.का.नि. 112(अ) ता. 25-2-1987
17. सा.का.नि. 377(अ) ता. 9-4-1987
18. सा.का.नि. 674(अ) ता. 27-7-1987
19. सा.का.नि. 719(अ) ता. 18-8-1987
20. सा.का.नि. 837(अ) ता. 5-10-1987
21. सा.का.नि. 989(अ) ता. 17-12-1987
22. सा.का.नि. 337(अ) ता. 11-3-1988
23. सा.का.नि. 361(अ) ता. 21-3-1988
24. सा.का.नि. 626(अ) ता. 17-5-1988
25. सा.का.नि. 660(अ) ता. 31-5-1988
26. सा.का.नि. 693(अ) ता. 10-6-1988
27. सा.का.नि. 734(अ) ता. 24-6-1988
28. सा.का.नि. 606 ता. 14-7-1988
29. सा.का.नि. 812(अ) ता. 26-7-1988
30. सा.का.नि. 888(अ) ता. 1-9-1988
31. सा.का.नि. 907(अ) ता. 7-9-1988
32. सा.का.नि. 916(अ) ता. 9-9-1988
33. सा.का.नि. 1054(अ) ता. 2-11-1988
34. सा.का.नि. 179 ता. 18-3-1989
35. सा.का.नि. 358(अ) ता. 15-3-1989
36. सा.का.नि. 622(अ) ता. 15-6-1989
37. सा.का.नि. 865(अ) ता. 29-9-1989
38. सा.का.नि. 413(अ) ता. 29-3-1990
39. सा.का.नि. 574(अ) ता. 15-6-1990
40. सा.का.नि. 933(अ) ता. 3-12-1990
41. सा.का.नि. 985(अ) ता. 20-12-1990
42. सा.का.नि. 74(अ) ता. 18-1-1991
43. सा.का.नि. 237(अ) ता. 25-4-1991
44. सा.का.नि. 251(अ) ता. 2-5-1991
45. सा.का.नि. 543(अ) ता. 21-5-1992
46. सा.का.नि. 560(अ) ता. 26-5-1992
47. सा.का.नि. 587(अ) ता. 10-6-1992
48. सा.का.नि. 730(अ) ता. 19-8-1992
49. सा.का.नि. 830(अ) ता. 28-10-1992
50. सा.का.नि. 62(अ) ता. 11-2-1993
51. सा.का.नि. 80 ता. 6-2-1993
52. सा.का.नि. 384(अ) ता. 27-4-1993
53. सा.का.नि. 387(अ) ता. 28-4-1993
54. सा.का.नि. 220(अ) ता. 26-3-2004